कार्यालयः प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद (छ.ग.)

दूरभाष नं- 07749-223077 ई-मेल balod.court@nic.in

//संशोधित कार्य विभाजन विविध आदेश//

क्रमांक..49 /एक-11-1/2013 बालोद दिनांक 16/09/2026

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन अधिनियम 2016 के आलोक में छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 21 (3) एवं (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दीवानी कार्य एवं दाण्डिक कार्य के संबंध में पूर्व में इस न्यायिक स्थापना में पदस्थ न्यायाधीशों हेतु जारी किये गये कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 18/एक-11-1/2013 बालोद दिनांक 15.04.2026 में आंशिक संशोधन निम्नानुसार है, जो आज दिनांक 16-09-2026 से प्रभावशाली होगा ।

01- कार्य विभाजन आदेश में **पूर्व में आरक्षी केन्द्र के माध्यम से जिन न्यायालयों को मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित वादों का निराकरण करने का आदेश पारित किया गया था, उसे विलोपित कर** प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद /मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोद द्वारा सिविल जिला बालोद के सभी आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न् समस्त प्रकार के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित वाद का निराकरण करना एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण किया जावेगा ।

02- कार्य विभाजन आदेश में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद के **कंडिका क्रमांक 21 में वर्णित सिविल जिला बालोद के सभी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न् होने वाले व्यवहार अपील एवं विविध व्यवहार अपीलों का निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद से विलोपित कर** प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद के न्यायालय में निराकरण करना जोड़ा जाता हैं ।

03- कार्य विभाजन आदेश में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद के **कंडिका क्रमांक 02 में वर्णित सिविल जिला एवं सत्र खण्ड बालोद से उत्पन्न सभी आपराधिक अपीलें (जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त अपीलें सम्मिलित है, उससे उत्पन्न समस्त प्रकार विविध कार्यवाही) को विलोपित कर** जिला एवं अतिरिक्त् सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०) बालोद के न्यायालय में सुनवाई एवं निराकरण करना जोड़ा जाता हैं ।

04- कार्य विभाजन आदेश में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद के **कंडिका क्रमांक 04 में वर्णित सिविल जिला एवं सत्र खण्ड के सभी आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरणों को विलोपित कर** द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद के न्यायालय में सुनवाई एवं निराकरण करना जोडा जाकर संशोधन किया जाता हैं ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद, (छ०ग०)

पृष्ठांकन क्रमांक 2695/एक–11–1/2013 बालोद दिनांक 16/09/2026

यथा आदेश प्रतिलिपिः–

01– प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालोद ।

02– जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०) बालोद ।

03– द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालोद।

04– प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, बालोद ।

05– प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल फाईलिंग, बालोद।

06– कार्यालय, जिला लोक अभियोजक, बालोद ।

07– सचिव, जिला अधिवक्ता संघ बालोद ।

08– अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ बालोद ।

09– प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद।

10– प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्याः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद, (छ०ग०)